# न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महो. संभाग ग्वालियर म0प्र0

प्र0क्र0 /18 निगरानी - 3054/2018/अशोकनगर/भू.रा.

श्री ...... द्वारा आज दि. 17-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 25-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पप्पू पुत्र गुलाबसिह जाति यादव निवासी भौरा ईसागढ

तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर म0प्र0

निगरानीकर्ता

बनाम

महेनद्रसिह पुत्र मानसिह जाति यादव निवासी भौरा

तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर म0प्र0

प्रति निगरानीकर्ता

निगरानी

**धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 के तहत**

**निगरानी विरूद्ध आदेश अधिनस्थ न्यायालय के श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय ईसागढ के उनके प्र0क्र0 45अपील16-17 आदेश दिनांक 11/10/017 के विरूद्ध ।**

माननीय महोदय

सेवा मे निगरानीकर्ता की और से अपील सादर निम्न प्रकार प्रस्तुत है

01/ यहकि भूमि स्थित ग्राम भौरा के सेर्वक्रमांक 468 रकवा 0.125हे.स्थितहै जिस परअपीलांट काविज होकर आम रास्ते के उपयेाग की है ।

02/ यहकि अधिन्स्जि न्यायालय श्रीमान तेहसीलदार महोदयईसागढ ने अपने प्रकरण क्रमांक 101/अ 19/02-03 आदेश दिनांक 8/5/03 को सामलाती पटटा प्रदान किया जो अवैधानिक होने से निरस्ती योग्य था क्योकि शासन द्वारा वर्ष 2002 मे ही पटटा शामिलकब्जा पर रोक लगा दी थी तथा वर्ष 2002 के पूर्व मे ही सिफ हरिजन आदिवासीयो के लिये ही व्यवस्था पन के पात्रता थी जिस पर गौर न कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3054 / 2018 / अशोकनगर / भू.रा.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 23/1/19 | आवेदक अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 45 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 11.10.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br>2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार करने एवं म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.9.2018 के हुये संशोधन अनुसार अनुविभागीय अधिकारी ईशागढ जिला अशोकनगर द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 11.10.17 के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रही है। अपितु संशोधन की संहिता की धारा 54 (क) सहपठित धारा 50 (1) (ग) के अनुसार अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष सुनवाई योग्य है। तदनुसार प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 29.3.19 को अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष उपस्थित रहे।<br><br>सदस्य<br><br>**अपर आयुक्त ग्वालियर** | |